

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1 (175)स्था/निकाशि/2011/70

दिनांक: 27/2/12

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के नियम 4(3)क में वर्णितानुसार अनुदानित महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये आदेश क्रमांक द्वारा राज्य सेवा में व्याख्याता पद पर पदस्थापित किया गया था।

क्र. स.	अधिकारी का नाम एवं पिता/पति का नाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	पदस्थापित महाविद्यालय/स्थान का नाम
1	डा. बी.एल. अग्रवाल / श्री पूरणमल अग्रवाल	एफ 1 (175)स्था/निकाशि /2011/1873 दिनांक: 20.12.2011	व्याख्याता ई.ए.एफ.एम राजकीय महाविद्यालय, करौली
2	श्री सत्यनारायण शर्मा / श्री बद्री प्रसाद शर्मा	एफ 1 (175)स्था/निकाशि /2011/1873 दिनांक: 20.12.2011	व्याख्याता ई.ए.एफ.एम राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर
3	डा. मधुलिका सक्सैना / श्री सुरेन्द्र प्रसाद सक्सैना	1 (175)स्था/निकाशि/2011/1876 दिनांक: 20.12.2011	व्याख्याता मनोविज्ञान आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4	डा. अनामिका सिंह / श्री वी.पी. सिंह	एफ 1 (175)स्था/निकाशि/ 2011/1871 दिनांक: 20.12.2011	व्याख्याता अंग्रेजी राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना

उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्राचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाता है शेष शर्तें यथावत रहेगी। उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग के एम.आर. क्रमांक 313 दिनांक 27.02.2012 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पद	पदस्थापित महाविद्यालय/स्थान का नाम	जन्म तिथि	प्रस्ताव संख्या	पदस्थापित राजकीय महा.
1	डा. बी.एल. अग्रवाल / श्री पूरणमल अग्रवाल	प्राचार्य	व्याख्याता ई.ए.एफ.एम राजकीय महाविद्यालय, करौली	15/11/1958	766	सांगवाड़ा
2	श्री सत्यनारायण शर्मा / श्री बद्री प्रसाद शर्मा	प्राचार्य	व्याख्याता ई.ए.एफ.एम राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर	01/11/1959	767	कोटडा
3	डा. मधुलिका सक्सैना / श्री सुरेन्द्र प्रसाद सक्सैना	प्राचार्य	व्याख्याता मनोविज्ञान आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	31/12/1956	768	उनियारा
4	डा. अनामिका सिंह / श्री वी.पी.सिंह	प्राचार्य	व्याख्याता अंग्रेजी राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना	02/01/1963	769	नसीराबाद

उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करें।

(सुबीर कुमार)

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर


दिनांक: 27/2/12

क्रमांक एफ 1 (175)स्था/निकाशि/2011/70

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी/ उपविधि परामर्शी निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना/अनुदान/ कार्मिक/ अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशालय शिक्षा गप-5 शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

11. संबधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
12. संबधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता हैं कि वे उक्त अधिकारियों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर सूचित करें।
13. संबधित व्याख्याता।
14. संस्थापन/ कम्प्यूटर/ गोपनीय/ कार्मिक शाखा/ नोडल आफिसर, विभागीय वेबसाईट।
15. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर